E-MAIL

**बिहार सरकार**
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

महत्वपूर्ण पत्रांक-प्र07-कि0आ0-7/2009 5735 खाद्य, पटना/दिनांक- 23-6-2011

प्रेषक,

अजय वी नायक
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- जिला के मासिक आवंटन में सामंजित की जानेवाली अवशेष तेल का ससमय संसूचन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिलों से प्राप्त अवशेष तेल के प्रतिवेदन के आधार पर उनका सामंजन जिलों के मासिक आवंटन में किया जाता है । जिलों द्वारा उपलब्ध अवशेष किरासन तेल का प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उनका सामंजन समय पर जिलों के आवंटन में नहीं हो पाता है । थोक विक्रेताओं के पास किरासन तेल के भंडारण की क्षमता सीमित होती है, जिसके कारण पूर्व से उनके भंडार में अवशेष तेल होने के फलस्वरूप उनके द्वारा उन्हें आवंटित मात्रा का संपूर्ण उठाव नहीं किया जाता है और तेल व्ययगत हो जाता है ।

विदित हों कि व्ययगत मात्रा के अनुरूप राज्य के आवंटन में कटौती पूर्व में भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है । वर्त्तमान में प्राप्त हो रहा किरासन तेल का आवंटन राज्य की आवश्यकता से काफी कम है ऐसी स्थिति में आवंटन में और कटौती होने पर उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित अनुमान्यता में पुनः कटौती करनी पड़ सकती है । राज्य को आवंटित किरासन तेल का ससमय शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि जिलों में उपलब्ध अवशेष तेल का नियमित सामंजन हो ।

अतएव अनुरोध है कि सामंजन हेतु जिलों में उपलब्ध अवशेष तेल से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से 25वीं तारीख तक उपलब्ध करा दिया जाय । निर्धारित तिथि के उपरांत अवशेष तेल के संबंध में प्रतिवेदित करने की स्थिति में उसका सामंजन जिला के आवंटन में नहीं होने के कारण तेल व्ययगत होने की जिम्मेवारी संबंधित जिलों की होगी ।

विश्वासभाजन,
23/6/11
प्रधान सचिव ।